झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न शनिवार,दिनांक– 08 माघ,1938 {श0} / 28 जनवरी, 2017 {ई0} को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे:–

क.सं.	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
67.	अ0सू0–14	श्री प्रदीप यादव	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	भवन निर्माण	16.01.17
68.	अ0सू0–14	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा	पाईप लाईन से पानी पहुँचाना।	पेयजल एवं स्वच्छता	18.01.17
69.	अ0सू0–18	श्री प्रदीप यादव	दोषियों पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	19.01.17
70.	अ0सू0–05	श्री बिरंची नारायण	अनापत्ति प्रमाण पत्र देना।	पथ निर्माण	14.01.17
71.	अ0सू0–22	श्री राधाकृष्ण किशोर	अर्थदण्ड की वसूली, स्थल पर करना।	परिवहन	23.01.17
72.	अ0सू0–07	श्री बिरंची नारायण	निर्माण लागत मूल्य की समीक्षा।	नगर विकास एवं आवास	14.01.17
73.	अ0सू0–20	श्री ढुनू महतो	जलापूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	19.01.17

नोट:–"क"–जल संसाधन विभाग से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक–28 जनवरी,2017(ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0/–

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015.....987...../वि0स0,राँची,दिनांक-24.01.2017

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.01.17

(अनिल कुमार)

उप सचिव,झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015.....987...../वि0स0,राँची,दिनांक-24.01.2017

प्रतिलिपिः- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान-सभा, राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

24.01.17

(अनिल कुमार)

उप सचिव,झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015.....987...../वि0स0,राँची,दिनांक-24/01/2017

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

24.01.17

(अनिल कुमार)

उप सचिव,झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

राजेन्द्र/-

24/01

(67)

श्री प्रदीप कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक- 28.01.17 को पूछे जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- 14 का कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण विभाग ने उपर्युक्त प्रकाशित खबर के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या- 262 दिनांक- 17.11.2016 के द्वारा जाँच समिति बनायी है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जाँच प्रतिवेदन विभाग को दिनांक- 27.11.2016 तक समर्पित करना था ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि जाँच प्रतिवेदन लम्बित होने के कारण अबतक भ्रष्ट कारनामा को अंजाम देने वाले अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी पर त्वरित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	जाँच समिति द्वारा जाँच-प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत जाँच-प्रतिवेदन के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

झारखण्ड सरकार

भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः-भ0-03 विधायी (अ0सू0)-10/17....322. (भ0) राँची, दिनांकः-....27.1.17

प्रतिलिपिः- श्री शरद सहाय, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक- 634 दिनांक- 16.01.17 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/17

अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची

(69)

मा0, स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा मुरहू–तपकारा–तोरपा (0–27 कि0मी0) पथ निर्माण में तकनीकी मापदंड पुरा नहीं करने के बावजूद भी ठिकेदार, मेसस्र संजय अग्रवाल को अनुचित लाभ पहुँचाने की पुष्टि पीएजी ने सरकार को भेजी ऑडिट रिपोर्ट में की है ; 2. क्या यह बात सही है कि सरकार को निर्धारित समय सीमा पर काम पुरा नहीं करने की वजह से ठिकेदार से 4.25 करोड़ रूपये की दण्ड की राशि की वसूली अभियंताओं की मिलीभगत से अब तक नहीं की जा सकी है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब दोषी कम्पनी से दंड की राशि वसूलने एवं समय पर दंड राशि नहीं वसूलने वाले अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	उक्त चालू कार्य के ठेका शर्त्तों के आलोक में संबंधित संवेदक एवं पदाधिकारियों द्वारा कृत कार्रवाई की समीक्षा के उपरान्त नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–04 / 2017 697(1) राँची / दिनांक : 27/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 282 दिनांक 12.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

27/01/2017
सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11– अ0सू0–04 / 2017 697(1) राँची / दिनांक : 27/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

27/01/2017
सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(70)

मा0, स0वि0स0, श्री विरंची नारायण द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि सड़क निर्माण के साथ नाली, बिजली पोल सीवरेज ड्रेनेज लेन, वाटर सप्लाई लाइन और केबल लाइन बनाना जरूरी है, परन्तु विभाग द्वारा किसी भी मार्ग में नाली के किनारे सर्विस लेन नहीं बनाया गया है, जिस कारण ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग, सप्लाई वाटर पाइप लाइन और अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए जगह नहीं छोड़ी जाती है तथा इनमें खराबी आने या कोई भी मेंटेनेंस कार्य हेतु बने–बनाये सही सड़क को भी दूसरे विभाग के लोग खोद कर क्षतिग्रस्त कर देते हैं; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त कारण नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है और कई दुर्घटनाएँ भी घटित होती हैं ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्य विभागों द्वारा अपने मेंटेनेंस कार्य हेतु सड़क को खेदने से पहले संबंधित विभाग को पथ निर्माण विभाग से सभी आवश्यक शर्त्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने हेतु एक कठोर नियमन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	पथ निर्माण विभाग के अधीन पथों में Utility झारखण्ड राजमार्ग अधिनियम–2005 (झारखण्ड अधिनियम–07, 2006) एवं तत्पश्चात् झारखण्ड राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम–2011 द्वारा मानक एवं दिशा–निर्देश निर्धारित है । उपयोगी जनसेवाओं के लिए Utility बिछाने हेतु विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2017 677(S) राँची/दिनांक : 27/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 458 दिनांक 14.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

27/01/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2017 677(S) राँची/दिनांक : 27/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

27/01/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

(71)

दिनांक 28–01–2017 को श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–22 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता **श्री राधाकृष्ण किशोर** **माननीय स०वि०स०**		***उत्तरदाता*** **श्री सी० पी० सिंह** **माननीय मंत्री, परिवहन विभाग**
1	क्या यह बात सही है कि मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं में यातायात नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रावधान किया गया है और पालन नहीं करने पर दंड की व्यस्था की गई हैं;	–	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि धारा–194 D के अन्तर्गत बिना हेलमेट पहने हुए दुपहिया वाहन के चालक को 100 रूपया आर्थिक दंड अथवा उक्त दोष में दुबारा पकड़े जाने पर आर्थिक दंड के साथ–साथ तीन माह के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आयोग्य किये जाने का प्रावधान किया गया है;	–	मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 डी नहीं अपितु धारा 177 के अन्तर्गत बिना हेलमेट पहले दुपहिया वाहन चालक पर 100 रूपये का जुर्माना प्रथम बार एवं द्वितीय बार 300 रूपये जुर्माना वसूली का प्रावधान है। वर्त्तमान में तीन माह के लिए अनुज्ञप्ति को अयोग्य करने का कोई प्रावधान नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि अभियान के क्रम में बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन चालक पर आर्थिक दंड अभियान स्थल पर ही लगाया जाना है और भुगतान प्राप्त कर वाहन छोड़ देने का प्रावधान किया गया हैं;	–	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	क्या यह बात सही है कि दिनांक–12.01.2017 को पलामू जिला अंतर्गत नौडीहा बाजार थाना के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा प्रशासन द्वारा आयोजित विकास मेला स्थल पर बिना हेलमेट पहने हुये 50 से अधिक व्यक्तियों के मोटर–साईकिल जब्त कर थाना परिसर में लगा दिया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि आर्थिक दंड कोर्ट में जमा करने के उपरांत ही वाहन थाना से विमुक्त किया जायेगा जबकि अधिकांशतः व्यक्ति अभियान स्थल पर ही अर्थदंड देने के लिए तैयार थे;	–	सड़क सुरक्षा सप्ताह अन्तर्गत नौडीहा बाजार के पुलिस पदाधिकारी द्वारा दिनांक–12.01.2017 को 34 मोटर साईकिल चालकों को बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए जब्त किया गया था। जिसकी सूची नौडीहा थाना द्वारा वाहनों को विमुक्त करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू को प्रेषित की गई थी। चूँकि पुलिस पदाधिकारी नौडीहा बाजार को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत शमन की शक्तियाँ प्रदत नहीं है, फलतः वर्णित परिस्थिति में सिर्फ परिवहन विभाग के पदाधिकारी एवं न्यायालय के स्तर से ही वाहनों को विमुक्त किया जा सकता था।

16.12.2015

5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि वाहन चेकिंग के क्रम में लगाये जाने वाले अर्थ–दंड की वसूली स्थल पर ही करने का विचार रखती है?	–	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–परि०वि०(स०प्र०)–18/2017 190 /राँची,दिनांक 25.01.2017

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप संख्या–942 दिनांक 23.01.2017 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई एवं प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

श्री बिरंची नारायण, माननीय वि0स0स0 द्वारा दिनांक 20.01.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर सामग्री :

72

क्र0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री बिरंची नारायण माननीय सदस्य विधान सभा	**श्री राज पलिवार,** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि–	
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में सभी नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समितियों /RRDA और माडा के द्वारा निजी भवनों/अपार्टमेन्टों का नक्शा पास करने हेतु वर्त्तमान में निर्धारित न्यूनतम निर्माण लागत मूल्य रूपये 1400/– प्रति वर्ग फीट के दर से1%लेबर सेस लिया जा रहा है, जोकि पूर्व में 800/– प्रति वर्ग फीट के दर से लिया जा रहा था।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक जिले में निर्माण सामग्रियों का रेट, जमीन का रेट, इत्यादि अलग–अलग है जिस कारण कई जिलों में तो रूपये 1400–1500/– प्रति वर्ग फीट की दर से बना बनाया फ्लैट बिक रहा है।	भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम 3 में निहित प्रावधानों के आलोक में जमीन की लागत पर उपकर की राशि नहीं वसूली जाती है। अतः निर्माण कार्य पर आने वाले लागत का आकलन कर न्यूनतम लागत मूल्य का निर्धारण किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 के आलोक में सम्पूर्ण झारखण्ड में निजी भवनों/अपार्टमेन्टो का निर्माण लागत मूल्य 700–800/– प्रति वर्ग की दर से अधिक नहीं है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि निजी भवनों/अपार्टमेन्टो के निर्माण लागत के अनुसार उपकर निर्धारण हेतु R.R.D.A के मुख्य अभियंता के द्वारा Rate Analysis कराया गया था जिसमें मॉडल प्राक्लन के आधार पर न्यूनतम लागत कुल रू0 1457/–प्रति वर्ग फीट आंकी गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार उक्त न्यूनतम निर्माण लागत मूल्य रूपये 1400/– प्रति वर्ग फीट की समीक्षा कर इसे कम करने का विचार रखती है, ताकि राँची से दूर जिलों के भवन/अपार्टमेन्ट निर्माताओं एवं आम खरीदारों को राहत मिल सके, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	उर्पयुक्त कंडिका–2 एवं 3 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्पष्ट है कि निजी भवनों/अपार्टमेन्टो के निर्माण लागत के अनुसार उपकर निर्धारण पर सम्यक् विचारोपंरात एवं तकनीकी विशेषज्ञों से विर्मशोपरांत संबंधित बोर्ड के द्वारा जिसमें निर्माण कार्य से जुड़े सरकारी एवं गैरसरकारी प्रतिनिधि भी सदस्य है, रूपये 1400/– प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–02/श्रमा0का/विधानसभा/03/2017 श्र0नि0 166 राँची दिनांक 19.01.17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–456 दिनांक 14.01.2017 के अनुपालन में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.1.17

सरकार के उप सचिव।

THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE CESS RULES, 1998[1]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (Act 28 of 1996), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (Act 28 of 1996);

(b) "Main Act" means the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Act 27 of 1996);

(c) "Form" means the form annexed to these rules;

(d) all other words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the main Act shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts;

(e) "specified" means specified by a State Government by an order published in the Official Gazette;

(f) "Cess Collector" means an officer appointed by the State Government for collection of cess under the Act;

(g) "Assessing Officer" means a gazetted officer of a State Government or an officer of a local authority holding an equivalent post to a gazetted officer of the State Government appointed by such State Government for assessment of Cess under the Act;

(h) "Appellate Authority" means an officer, senior in rank to the Assessing Officer, appointed by the State Government for the purposes of section 11 of the Act.

3. Levy of cess.— For the purpose of levy of cess under sub-section (1) of section 3 of the Act, cost of construction shall include all expenditure incurred by an employer in connection with the building or other construction work but shall not include—

—cost of land;

—any compensation paid or payable to a worker or his kin under the Workmen's Compensation Act, 1923.

---

1. *Vide* G.S.R. 149 (E), dated 26th March, 1998, published in the Gazette of India, Extra., Pt. II, Sec. 3 (i), dated 26th March, 1998.

(73)

श्री ढुल्लू महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 28.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0– 20 का उत्तर अनुपालन प्रतिवेदन :–

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>अल्प–सूचित प्रश्न</th><th>उत्तर अनुपालन</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही यह है कि कोयला खनन क्षेत्र होने के कारण बाघमारा विधान सभा क्षेत्र समेत पूरे कोयलांचल में पेयजल की घोर किल्लत है जो गर्मियों में विकराल जल संकट का रूप ले लेती है तथा भू–गर्भ जल स्तर भी काफी नीचे चला जाता है, जिससे कुँआ, चापाकल आदि भी सूख जाते है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि गर्मी के दिनों में बाघमारा प्रखण्ड खनन क्षेत्र में भू–गर्भ जलस्तर निचे चला जता है। प्रखण्ड का औसत जलस्तर सामान्य दिनों में 18.0 मी0 है जो गर्मी के दिनों में 27.0 मी0 तक चला जाता है। उक्त प्रखण्ड की कुल आबादी 334309 है जिसे 3643 नलकूप द्वारा जलापूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त कुल 11 अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं 08 अदद् ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति की जाती है जो पर्याप्त है।
इसके अतिरिक्त बाघमारा प्रखण्ड में विभिन्न चालू ग्रामीण जलापूर्ति योजना का विवरण निम्न है–
<table>
<tr><th>क</th><th>ग्रा0 जला0 यो0 का नाम</th><th>स्त्रोत</th><th>पंचायत</th><th>ग्राम</th><th>आबादी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>तेलमच्चों ग्रा0 जला0 यो0</td><td>दामोदर नदी</td><td>तेलमच्चो
लोहपिट्टी</td><td>तेलमच्चो, कुन्जी
लोहपिट्टी</td><td>2540</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>महुदा बाजार ग्रा0 जला0 यो0</td><td>कतरी नदी</td><td>सिंगरा
कापुरिया</td><td>सिंगरा
कापुरिया, रूदी</td><td>4300</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सदरियाडीह ग्रा0 जला0 यो0</td><td>जमुनिया नदी</td><td>केसरगढ़ा</td><td>सदरियाडीह</td><td>1400</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मधुबन ग्रा0 जला0 यो0</td><td>खनन पिट</td><td>मधुवन</td><td>मधुवन</td><td>650</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>धर्माबाँध ग्रा0 जला0 यो0</td><td>खनन पिट</td><td>धर्माबांध</td><td>धर्माबाद, देवघरा</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>खरखरी ग्रा0 जला0 यो0</td><td>खनन पिट</td><td>खरखरी
बाँसजोरा
तारगा
फुलारीटांड</td><td>खरखरी
बाँसजोरा
तरगा
फुलारीटांड</td><td>3800</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>सोनारडीह ग्रा0 जला0 यो0</td><td>खनन पिट</td><td>बहियारडीह</td><td>सोनारडीह</td><td>400</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>बेहराकुदर ग्रा0 जला0 यो0</td><td>HYDT</td><td>बेहराकुदर</td><td>बेहराकुदर</td><td>1600</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>बाघमारा ग्रा0 जला0 यो0</td><td>HYDT</td><td>बाघमारा</td><td>लुतीपहाड़ी</td><td>2050</td></tr>
</table>
धनबाद जिला के औसत जलस्तर 13.39 मी0 है। जिले की कुल जनसंख्या 1141797 है जिसे 17393 नलकूपों द्वारा जलापूर्ति की जाती है जो मानक के अुनरूप पर्याप्त है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्य यह बात सही कि क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में डीप बोरिंग एवं छोटी–छोटी पानी टंकिया बनाकर जलापूर्ति किए जाने से जल संकट का काफी हद तक समाधान हो सकता है;</td><td>खनन क्षेत्र में उच्च प्रवाही नलकूप भी पूर्ण रूपेन प्रभावी नहीं होती है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बाघमारा समेत पूरे कोयलांचल में डीप बोरिंग एवं छोटी–छोटी टंकी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में जलापूर्ति का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?</td><td>बाघमारा प्रखण्ड में 2000 ली0/घन्टा से 5000 ली0 /घन्टा के जलप्रवाह वाले कुल 09 स्थलों पर सौर उर्जा चलित मोटर पम्प द्वारा जलापूर्ति की योजना जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT) के तहत् ली गई है। इसके अतिरिक्त बाघमारा प्रखण्ड मुख्यालय सहित 61 ग्रामों में जलापूर्ति हेतु डी0पी0आर. तैयार की जा रही है। यह DMFT अन्तर्गत आच्छादित है। पूरे क्षेत्र को पाईप जलापूर्ति से आच्छादित करने का निर्णय है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ0सू0– 01–17/2016– 501 राँची, दिनांक :– 27/1/17–

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 782 दिनांक– 19.01.2017 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ0सू0– 01–17/2016– 501 राँची, दिनांक :– 27/1/17

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।